शोध साहित्य SHODH SAHITYA
INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL
(समसामयिक विषयों पर केंद्रित बहुविषयक मासिक ई-शोध पत्रिका)
E-ISSN 2584-2447
Year – 1
Vol – 4
February
2024

पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व

प्रीता कुमारी गुर्जर
शोधार्थी

शोध सारांश

भारत एक गणतन्त्रराज है। किसी भी देश के गणतंत्र की बुनियाद वहाँ संचालित राजनैतिक दलों पर निर्भर करती हैं। सुशासन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक आधी आबादी को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो जाता है। इस दिशा में पंचायती राज व्यवस्था कारगर और सार्थक भूमिका अदा कर सकती है। महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की विशेष भूमिका है, क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण लाने का सफल प्रयास किया जा रहा है, जिससे राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकें। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से पंचायती राज मील का पत्थर साबित हो रहा है।

बीज शब्द

सशक्तिकरण, सुशासन, पंचायती, उद्देश्य, कर्तव्य, विकेन्द्रीकरण, लोकतांत्रिक।

भूमिका

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें नेतृत्व की कमान जो सौपी गयी किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। उन्हें व्यवस्था में भागीदारी तो मिल चुकी है लेकिन वे प्रशिक्षित नहीं हैं। यही कारण है कि वे पंचायती व्यवस्था में नियोजन का अंग नहीं बन पा रही हैं।

शोध विस्तार

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी एवं सतत प्रक्रिया हैं। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। उनमें इस प्रकार की क्षमता का विकास करना जिससे वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकें एवं उनके अन्दर आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत हो। "महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं सम-समाज की स्थापना करना है क्योंकि लैंगिक

समता को सुशासन की कुंजी कहा जाता है।"[1] सुशासन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक आधी आबादी को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो जाता है। इस दिशा में पंचायती राज व्यवस्था कारगर और सार्थक भूमिका अदा कर सकती है। महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की विशेष भूमिका है क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक एवं संस्थागत स्तर पर बदलाव आया है तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। कई अध्येता इसे नारीवादी क्रान्ति का नाम देते हैं क्योंकि इसका परिप्रेक्ष्य बहुत व्यापक है।"[2]

स्वायत्तशासी संस्थायें लोकतंत्र का मूल आधार है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी मानी जाती है जबकि देश के निचले स्तरों तक लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रसार किया जाये एवं उन्हें स्थानीय विषयों का प्रशासन चलाने में स्वतन्त्रता प्राप्त हो। वस्तुतः ये संस्थायें ही लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला एवं लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रत्याभूति हैं। स्थानीय संस्थायें सरकार के दूसरे अंगों से बढ़कर जनता को लोकतंत्र की सुरक्षा देती है। पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप है, जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास किये जाते है। अच्छी शासन-व्यवस्था के मुख्य लक्ष्यों के अन्तर्गत व्यवस्था को अधिकाधिक क्षमतावान बनाने हेतु जन आवश्यकताओं को पूर्ण करना, जन समस्याओं का निराकरण, तीव्र आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुधरों की निरन्तरता, वितरणात्मक न्याय एवं मानवीय संसाधनों का विकास आदि शामिल है। पंचायती राज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन में वृद्धि ग्रामीण उद्योगों का विकास, परिवार कल्याण कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम, पशु संरक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था आदि का उचित प्रबन्धन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढता प्रदान करना भी पंचायती राज का मौलिक उद्देश्य है।

पंचायत शुरू से ही कई भारतीय गांवों की रीढ़ रही है। महात्मा गांधी हमेशा पंचायत राज के समर्थन में थे और उनका सपना 73 वें संशोधन अधिनियम के साथ साकार हुआ, जिसे पंचायती राज अधिनियम भी कहा जाता है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों सहित महिलाओं को कुल एक तिहाई सीटें प्रदान करता है। इसने अध्यक्ष के कुल पदों में से एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया।

पंचायत में महिलाओं की भूमिका इस प्रकार है -

- चुनाव में भागीदारी

- ग्रामीण विकास में भागीदारी
- निर्णय लेने में भागीदारी
- सामाजिक क्रांति के एजेंट
- भ्रष्टाचार कम करना

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में उदारवादी लोकतन्त्र अपनाया गया है। भारतीय लोकतन्त्र पूर्णतः ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर आधारित है, किन्तु इसमें कुछ भारतीय मूल्यों का भी समावेश किया गया है। प्राचीन काल में जिस पंचायती राज की व्यवस्था का विकास हुआ था, उसका स्वरूप राजनीतिक कम, सामाजिक अधिक था। ग्राम पंचायतें गाँवों के सम्पूर्ण जीवन को दिशा देती थीं तथा भारतीय ग्रामीण जीवन स्वावलम्बी था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान निर्माताओं ने गाँवों में पंचायतों को पाश्चात्य लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर गठित करने की संविधान में व्यवस्था की। "राज्य ऐसे ग्रामों के लिए कदम उठायेगा और भारत में महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने के लिये रचनात्मक उपाय करने होंगे।"[3] संविधान में इस बात की गारंटी भी दी गई है कि सार्वजनिक नियुक्तियों में समानता बरती जायेगी और प्रत्येक नागरिक का यह मूलभूत कर्त्तव्य बताया कि वह महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल पंक्तियों का त्याग कर संवैधनिक आदेश को पूरा करने के लिये भारतीय संसद ने अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, चिन्तन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता मिलने के साथ ही लोकतंत्रीय राज्य में जनता को उसके अपने कल्याण कार्य में सहभागी बनाने की पद्धति पर विचार किया जाना आवश्यक था। वयस्क मताधिकार से राज्यों को विधानमण्डलों तथा भारत की संसद के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने के काम में जनता साझीदार बनी। परंतु केवल यही एक कारक कल्याणकारी राज्य की बुनियादी समस्याओं से निपटने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं था। भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में पंचायती राज को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है- "स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियाँ।"[4] संविधान की धारा 40 जिसमें ग्राम-शासन की बात निम्न प्रकार से स्पष्ट की गई है "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की ईकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।"[5] यह धारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। बलवंत राय

मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर आधारित त्रि-स्तरीय पंचायत राज को स्थापित करने की अनुशंसा की। ये त्रि-स्तर हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति तथा शीर्ष स्तर पर जिला परिषद्। साथ ही इस त्रि-स्तरीय पंचायती राज की सफलता के लिए तीन बिंदुओं को आवश्यक माना सत्ता का विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकृत इकाईयों को विकास के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करना एवं कर्त्तव्य की समझ तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था।

जी.बी.के. राव समिति (1985) ने योजना आयोग के परामर्श से अपना प्रतिवेदन तैयार किया। इसमें प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की एक साहसिक योजना प्रस्तुत की गई। समिति का मत था कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी केवल सरकारी मशीनरी पर नहीं थोपनी चाहिए। यह आवश्यक है कि स्थानीय लोगों व उनके प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने व उनके क्रियान्वयन में प्रभावी रूप से सहभागी बनाया जाये। समिति ने यह भी सिफारिश की कि जिले को नीति-नियोजन व कार्यक्रम क्रियान्वयन की आधारभूत इकाई बनाया जाये। समिति द्वारा पहली बार विविध स्तरों पर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की थी। राव समिति की रिपोर्ट के एक वर्ष बाद एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज संबंधी प्रपत्र तैयार करने के लिए समिति गठित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 27 नवम्बर, 1986 को प्रस्तुत की। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी समिति ने पहली बार पंचायतों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस समिति का दृष्टिकोण था कि पंचायतों को एक ऐसे समग्र संस्थागत ढांचे के रूप में संगठित किया जाना चाहिए जिसका आधार नीचे से ऊपर की और उन्मुख लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हो। इन स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से इनका उद्देश्य विकेन्द्रीकृत शासन, योजना तथा विकास की प्रक्रिया में जनता की सहभागिता था। 1988 में पी.के.भुंगन की अध्यक्षता में संसदीय सलाहकार समिति की एक उपसमिति ने पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की।

इसके उपरांत ही मई, 1989 में संशोधन (64वां संशोधन) विधेयक संसद में पेश किया गया। 25 मई 1989 को 64 वें संविधान संशोधन विधेयक के नाम से संसद में प्रस्तुत किया गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव, वित्तीय अधिकारों में वृद्धि, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण जैसे वे सभी प्रावधान थे जो व्यापक विचार-विमर्श के दौरान सामने आये 64वां संविधान संशोधन विधेयक राजनीति का शिकार हो गया

और लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में वह पारित न हो सका और इस प्रकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण के प्रगति का रथ कुछ समय के लिए रुक गया। 1991 में कांग्रेस के दुबारा सत्ता में आने पर मंत्री-स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 16 सितम्बर, 1991 को संविधान (73वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया जो 22 दिसंबर 1992 को संसद द्वारा पारित किया गया। 24 अप्रैल, 1993 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के रूप में इसे अंतिम रूप मिला। 73 वें संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में सामान्य, अनुसूचित, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित है। लोगों को स्वेच्छा से महिलाओं के लिए किए गए इस आरक्षण को स्वीकार करना होगा और समाज में महिलाओं की स्थिति का सम्मान करना होगा जो पुरुषों से कम नहीं है। पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और आपसी समझ के साथ गतिविधियों में भागीदारी की हमारी जीत को आगे बढ़ाने के लिए नई नीतियां बनाई जानी चाहिए और महिलाओं को बराबर की संख्या में आरक्षित करने का लक्ष्य पूर्ण करना चाहिए।

निष्कर्ष

पंचायती राज में महिला का नेतृत्व के अंतर्गत यह कहना उचित होगा कि पंचायती राज भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। महिला सशक्तिकरण से हमारा तात्पर्य महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार आदि प्रदान करने से है। इसके साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में भी सुधार देखा गया है।

इस शोध लेख में यहीं बताने का हमने प्रयास किया है कि तीव्रगति से परिवर्तित हो रही ग्रामीण राजनैतिक संरचना की वर्तमान स्थिति में पंचायतों का क्या स्थान है, इनकी असफलता के क्या कारण है तथा इनका संचालन कैसे सही ढंग से हो सकता है। महिलाओं की ग्रामीण सहभागिता में जनसंख्या की दृष्टि से लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है और वे उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था की सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ-साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं का योगदान एवं भूमिका मुख्य है।

सन्दर्भ सूची

1. एच.एस.ढिल्लन, लीडर शिप एण्ड ग्रप्त इन साउथ इण्डिया विलेजस, प्रोग्राम ईवेल्युएशन आर्गेनाइजेशन, प्लानिंग कमिशन, नई दिल्ली, पृष्ठ स. 21
2. ऑस्कर लेविस, ग्रुप डायनामिक्स इन नार्थ इंडिया विलेजस, ए स्टडी ऑफ फ्रेक्शन, प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली, पृष्ठ स. 29
3. अवतार सिंह, लीडर शिप पैटर्न एण्ड विलेज स्ट्रक्चर, स्टलिंग पब्लिशर्स नई दिल्ली, पृष्ठ स. 39
4. बी.एस.भार्गव, पंचायत राज सिस्टम एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ स. 54
5. प्रसाद ईश्वरी (1965) भारत का इतिहास, भाग-1, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, पृष्ठ स. 34

SHODH SAHITYA शोध साहित्य